

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी
विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड की पात्रता.
४. पात्र व्यक्तियों का पंजीयन.
५. आवासों और आवासीय भूखण्डों का आबंटन
६. जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन.
७. जिला स्तरीय आवास समिति के कर्तव्य.
८. प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.
९. नियम बनाने की शक्ति.
१०. निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.
११. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य के पात्र निवासियों को किफायती मूल्य पर आवास या निःशुल्क आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने की गारंटी देने और उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

पधिषाणं.

(क) “किफायती मूल्य” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया गया मूल्य;

(ख) “प्राधिकृत अधिकारी” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित, डिप्टी कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो आवास या आवासीय भू-खण्ड के लिए पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) “जिला स्तरीय आवास समिति” से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित जिला स्तरीय आवास समिति;

(घ) “मध्यप्रदेश का मूल निवासी” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मध्यप्रदेश का मूल निवासी है;

(ङ) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई परिवार;

(च) “पात्र व्यक्ति” से अभिप्रेत है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसका या तो स्वयं के नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से मध्यप्रदेश राज्य में कोई आवास या आवासीय भू-खण्ड नहीं है:

परन्तु सरकार की किसी योजना के अधीन स्वामी या पट्टाधारी के रूप में किसी प्रकार का आवास या भू-खण्ड रखने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा किन्तु यदि कोई हितग्राही केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी योजना में विनिर्दिष्ट पात्रता मापदण्ड के अनुसार पात्र है तो ऐसी अपात्रता लागू नहीं होगी;

(छ) “परिवार” से अभिप्रेत है, पति/पत्नी, उनके अवयस्क बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे;

परन्तु विधवा/तलाकशुदा पुत्री, बहन, पुत्रवधु, पिता, माता, ससुर/सास अथवा शारीरिक रूप से विकलांग भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, जो पूर्ण रूप से आश्रित हैं तथा एक ही छत के नीचे निवासरत हैं, परिवार का भाग माने जाएंगे;

(ज) “आवास” से अभिप्रेत है, आवासीय प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाए जाने योग्य २५ वर्ग मीटर से अन्यून प्रत्येक इकाई के अधिनिर्मित (सुपर बिल्टअप) (कंस्ट्रक्टेड) क्षेत्र की छत तथा शौचालय युक्त कोई एक मंजिली या बहुमंजिली अधोसंरचना;

(झ) “क्रियान्वयन अभिकरण” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन आवास अथवा आवासीय भूखण्ड का निर्माण अथवा आबंटन करने के लिए सशक्त कोई अभिकरण और इसमें सम्मिलित होंगे, ग्रामीण अथवा नगरीय स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड;

